विविध - 9/2020

राजस्थान सरकार

कार्यालय टिप्पणी

10/5/23 को पेश हुई।

तलब प्रति 20 को

दिनांक 27/5/23

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आज दिनांक 27/5/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] अन्य कर्मचारी/अधि[illegible] के कारण, [illegible] जा सकी। पी.ओ.सी. कैम्प कोर्ट में अन्य [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/6/23 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 15/6/23 को पेश हुई वकील प्रार्थी- अभि[illegible]/वादी- प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली [illegible]/जवाब/[illegible]/प्रा.जवाब/ तलबी [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 19/6/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

19/6/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5/7/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

5/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित कर्मचारी गवाह तलबशुदा नहीं। फिर भी स्वयं प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। समय शाम 5:30 बजे पुनः गवाह तलबशुदा नहीं, अब भी स्वयं प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी का व्यवहार कोर्ट हाजरी कोर्ट पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट फीस शुल्क होकर डिप्टी रजिस्ट्रार के नाम रोस्टर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5/7/23 को लिफाफा बंद कर इजलास में रखा गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner